

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-6337 / 585859 दिनांक: 30-12-15

सेवा में

1. वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, पंचकुला ।
2. वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला ।

विषय: Diversion of 0.0540 ha. (Actually 0.0756 ha.) of forest land in favour of Executive Engineer, T.S. Division, HVPNL, Ambala City for erection of Sonta-Sonda transmission for 66 KV S/Stn. Majri, under forest division and District, Amabala, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Trans/9180/2015.

संदर्भ: वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, पंचकुला का पत्र क्रमांक 2125 दिनांक 17-12-2015 ।

विषयोक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं जिन्हें दूर करके सही सूचना तुरन्त इस कार्यालय को भेजें तथा सम्बन्धित/अपेक्षित प्रपत्र भी 3-3 प्रतियों में भेजें :-

1. प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा 0.0756 है० वन भूमि के लिए आवेदन किया गया है और क्षेत्रफल की गणना शीट अनुसार भी 0.0756 है० वन क्षेत्र है । आपने पार्ट-II व चैक लिस्ट नं० 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में 0.0540 है० वन क्षेत्र अंकित किया है अर्थात् प्रस्ताव 0.0540 है० वन क्षेत्र के आधार पर तैयार करके भेजा है । इस बारे स्थिति स्पष्ट करें ।
2. प्रयोक्ता एजैन्सी से एन०पी०वी० की अतिरिक्त राशि के लिए अण्डरटेकिंग ।
3. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश की ओर से प्रमाण पत्र ।
4. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4612-32 दिनांक 2-11-2015 द्वारा जारी किए गए नार्मज के अनुसार संशोधित सी०ए० स्कीम, संशोधित सी०ए०साईट मैप जी०पी०एस० रीडिंग सहित व संशोधित भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र 3-3 प्रतियों में तुरन्त इस कार्यालय को भेजें और ऑनलाईन भी अपलोड करें ।

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ०सी०)
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।